# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, बस्सी, जयपुर राजस्थान

समीना बनाम हीतर

मुकदमा संख्या / वर्ष 305/2005 : 52 सी. /20

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
| --- | --- | --- | --- |
| | 7/11/21 | पत्रावली पेश हुई। P.O. MAED (?) अवकाश के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली 17/1/22 को पेश हो। | |
| | | पत्रावली पेश हुई। P.O. का दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/02/22 को पेश हो। | |
| | 21/02/2022 | पत्रावली पेश हुई। वादिनी की ओर से एड. श्री रामचन्द्र शर्मा ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई की सुनवाई के दौरान बताया कि वादिया वाद को विड्रो करना चाहती है; अतः वाद को आज की तारीख पर बुला जावे। प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आज नाम पर सुनवाई हेतु लिया गया। प्रार्थिया की ओर से एड. श्री रामचन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र बाबत दावा विड्रो किये जाने बाबत | RC Adv. 20.1.2022 |

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | पेश किया है जो वापिस लिया जाना<br>रहे। वादिया ने ~~वाद पत्र~~ प्रार्थना पत्र में की<br>ओर से प्रस्तुत ~~वादपत्र~~ शपथ पूर्वक<br>वादिया ने ~~अंकित~~ बयान किया है कि वादिनी<br>व. कुन्दनलाल जी के वारिस व विवादित<br>भूमि के मध्य आपसी समझौते<br>से राजीनामा हो गया है एवं<br>वादिनी स्वयं मिल, विवाद दिनांक<br>की अवस्था में डिक्री कर वाद<br>खारिज करवा रही है।<br><br>प्रार्थना पत्र पर वादिया के<br>अधिवक्ता को सुना गया।<br>लोक अदालत की भावना<br>से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया<br>जाकर वाद डिक्री किये जाने<br>के आधार पर खारिज<br>किया जाता है।<br>डिक्री पर्चा जारी हो।<br>फैसला खुले न्यायालय में<br>सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसला शुमार होकर<br>दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बस्सी (जिला जयपुर) |